



कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005
(सूचना का अधिकार शाखा)

फा. सं. V(Tech)RTI/93/2019/ 3135

दिनांक: 25.10.2019

सेवा में,

Shri Hawa Singh Yadav
Village - Shahabajpur, P.O. & Th.- Nangal Choudhary
Harayana-123021

विषय: श्री हवा सिंह यादव द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना के क्रम में।

महोदय,

Please refer to your RTI application dated 02.09.2019 received in this office dated 03.10.2019.

In this regard it is submitted that letters/notices have been issued under section 46 read with Rule 68 of CGST Act, 2017 to the return defaulters. Further visits and searches have also been conducted in respect of regular return defaulters having the large turnover. Registration are also being cancelled under section 29 of CGST Act, 2017 of such tax payers who are not filing returns continuously for more than six months.

"यदि सूचना लेने वाले व्यक्ति को सूचना से असंतुष्टि है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, श्री मंजूर अली अंसारी, अपर आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, नव राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 को इस निर्णय की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।"

भवदीय,

- 54 -

सहायक आयुक्त/के.लो.सू. अधिकारी,
केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर।

प्रतिलिपि:

ब्रेव मास्टर/अपर आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर को जोनल बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

सहायक आयुक्त/के.लो.सू. अधिकारी,
सहायक आयुक्त/के.लो.सू. अधिकारी,